

पीएमएफएमईवाई के अंतर्गत एसएचजी की सहायता

3940. श्रीमती डी. के. अरुणा:

श्री सुरेश कुमार शेटकर:

श्री इटेला राजेंद्र:

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग फॉर्मलाइजेशन योजना (पीएमएफएमई) ने 2.4 लाख स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) और साठ हजार व्यक्तियों को ऋण लिंकेज के माध्यम से सहायता प्रदान की है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या कोई अन्य योजना फसलोपरान्त हानि को कम करने तथा उत्पादकता और आय में सुधार लाने के प्रयासों को पूरा करने में मदद कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) इस संबंध में इस क्षेत्र का तीव्र विकास सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;
- (घ) क्या सरकार संग्रहण, आधुनिक भंडारण, कुशल आपूर्ति श्रृंखला, प्राथमिक और द्वितीयक प्रसंस्करण और विपणन के साथ-साथ ब्रांडिंग सहित फसलोत्तर गतिविधियों में निजी और सार्वजनिक निवेश को और बढ़ावा देगी और यदि हां, तो आन्ध्र प्रदेश, तेलंगाना, हरियाणा और उत्तर प्रदेश सहित तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और
- (ङ) ऐसी योजना के अंतर्गत वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री

(श्री रवनीत सिंह)

(क): केंद्र प्रायोजित- प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन (पीएमएफएमई) योजना के अंतर्गत, 1,08,580 आवेदकों के लिए क्रेडिट लिंकड सब्सिडी को मंजूरी दी गई है, जिसमें व्यक्ति, प्रोप्राइटरशिप फर्म, साझेदारी फर्म, किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ), गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ), स्वयं सहायता समूह (एसएचजी), सहकारी समितियां, प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां आदि शामिल हैं। इसके अलावा, योजना के तहत 3,10,121 एसएचजी सदस्यों को प्रारंभिक पूंजी सहायता प्रदान की गई है।

(ख) से (घ): खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में समग्र विकास को बढ़ावा देने और सुनिश्चित करने के लिए, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) अपनी केंद्रीय क्षेत्र की प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) स्कीम, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन लिंकड प्रोत्साहन योजना (पीएलआईएसएफपीआई) और केंद्र प्रायोजित प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन (पीएमएफएमई) योजना के माध्यम से देश भर में संबंधित बुनियादी ढांचे की स्थापना/विस्तार को प्रोत्साहित कर रहा है। ये योजनाएं क्षेत्र या राज्य विशेष नहीं हैं बल्कि मांग आधारित हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य देश में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए खेत से लेकर खुदरा दुकान तक कुशल आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के साथ आधुनिक बुनियादी ढांचे का निर्माण करना है, जिससे किसानों को बेहतर लाभ प्रदान करने, रोजगार के बड़े अवसर पैदा करने और कृषि उपज की बर्बादी को कम करने, प्रसंस्करण स्तर को बढ़ाने और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के निर्यात को बढ़ाने में मदद मिलेगी।

31 अक्टूबर, 2024 तक आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्यों सहित देश में इन योजनाओं के अंतर्गत वित्तीय सहायता के लिए अनुमोदित परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा **अनुबंध** में दिया गया है।

(ङ): '2047 तक विकसित भारत' के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, 2024-25 की बजट घोषणा के एक भाग के रूप में निम्नलिखित प्रावधानों की घोषणा की गई है :

- खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में 50 बहु-उत्पाद खाद्य विकिरण केन्द्रों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता।
- राष्ट्रीय परीक्षण एवं अंशांकन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड के साथ 100 खाद्य गुणवत्ता एवं सुरक्षा परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता।

दिनांक 19.12.2024 को "पीएमएफएमईवाई के अंतर्गत एसएचजी की सहायता" के संबंध में उत्तर हेतु लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3940 के भाग (ख) से (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

पीएमकेएसवाई योजना के तहत 31.10.2024 तक राज्य/ संघ राज्य क्षेत्रवार स्वीकृत परियोजनाएं

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	2
2	आंध्र प्रदेश	81
3	अरुणाचल प्रदेश	12
4	असम	112
5	बिहार	17
6	चंडीगढ़	0
7	छत्तीसगढ़	10
8	दादर एवं नगर हवेली	1
9	दिल्ली	21
10	गोवा	2
11	गुजरात	108
12	हरियाणा	100
13	हिमाचल प्रदेश	47
14	जम्मू और कश्मीर	40
15	झारखंड	2
16	कर्नाटक	96
17	केरल	51
18	लद्दाख	0
19	मध्य प्रदेश	58
20	महाराष्ट्र	260
21	मणिपुर	8
22	मेघालय	10
23	मिजोरम	4
24	नागालैंड	6
25	ओडिशा	29
26	पुदुचेरी	2
27	पंजाब	77
28	राजस्थान	57
29	सिक्किम	1
30	तमिलनाडु	148
31	तेलंगाना	67
32	त्रिपुरा	9
33	उत्तर प्रदेश	101
35	उत्तराखंड	60
36	पश्चिम बंगाल	55
कुल		1654

पीएमएफएमई योजना के तहत 31.10.2024 तक राज्य/ संघ राज्य क्षेत्रवार स्वीकृत परियोजनाएं

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या
1	अंडमान	18
2	आंध्र प्रदेश	5,770
3	अरुणाचल प्रदेश	61
4	असम	1,689
5	बिहार	17,608
6	चंडीगढ़	5
7	छत्तीसगढ़	732
8	दादर एवं नगर हवेली	10
9	दिल्ली	250
10	गोवा	82
11	गुजरात	553
12	हरियाणा	1,211
१३	हिमाचल प्रदेश	1,670
14	जम्मू और कश्मीर	1,053
15	झारखंड	2,647
16	कर्नाटक	5,177
17	केरल	4,780
18	लद्दाख	71
19	मध्य प्रदेश	6,228
20	महाराष्ट्र	19,580
21	मणिपुर	277
22	मेघालय	156
23	मिजोरम	34
24	नागालैंड	284
25	ओडिशा	1,684
26	पुदुचेरी	136
27	पंजाब	2,454
28	राजस्थान	774
29	सिक्किम	58
30	तमिलनाडु	13,520
३१	तेलंगाना	6,230
32	त्रिपुरा	135
33	उत्तर प्रदेश	12,815
35	उत्तराखंड	760
36	पश्चिम बंगाल	68
कुल		1,08,580
